तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./7196/2002/जयपुर** **सरकार बनाम विजय कुमार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-03-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति :** श्री वी0पी0 सिंह, राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी श्री हेमन्त सोगानी, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत रेफरेन्स धारा 82, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विद्वान भू प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 32/97 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 9-12-2002 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को अभिशंषित किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने भू प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर को दिनांक 6-1-1997 को पत्रांक 35 इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने ग्राम खोखावास, तहसील सांगानेर में नामांतरकरण संख्या 13 दिनांक 7-8-1991 से खसरा नम्बर 176 रकबा 0-63 है0 खातेदार भारत सरकार में से 5 एअर भूमि खसरा नम्बर 176/756 रकबा 0-05 है0 विजय कुमार ठेलिया पुत्र सुन्दर लाल ठेलिया के नाम दर्ज कर दी है, जो नियम विरुद्ध है। भू प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर ने प्रकरण संख्या 32/97 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 9-12-2002 से रेफरेन्स प्रार्थना स्वीकार किया और सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश दिनांक 3-8-1991 एवं नामांतरकरण संख्या 13 दिनांक 7-8-1991 को निरस्त करने की राय के साथ हस्तगत रेफरेंस मण्डल को अभिशंषित किया गया है। उभय पक्ष के योग्य अभिभाषक की बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी ने रेफरेन्स के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत भूमि को अप्रार्थी के पक्ष में अविधिक रुप से दर्ज किया गया है। यह भूमि एअरपोर्ट के नाम से दर्ज है और प्रश्नगत रकबा 0-05 है0 हाल खसरा नम्बर 176 में शामिल है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश दिनांक 3-8-1991 एवं नामांतरकरण संख्या 13 दिनांक 7-8-1991 अविधिक रुप से किए गए हैं। अतः भू प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रैफरेन्स अभिशंषित किया गया है, जिसे स्वीकार किया जाये।	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./7196/2002/जयपुर** **सरकार बनाम विजय कुमार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी पक्ष की ओर से योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बरान 176, 176/757, 177 के बारे में जो रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है वह खारिज योग्य है। उक्त खसरा नम्बरान के बाबत् राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 14-09-2011 को अधिसूचना जारी कर उक्त भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर योजना, जयपुर के द्वारा भूमि को अवाप्त किया गया है और भूमि का मुआवजा भी दिया जा चुका है। अतः यह रेफरेन्स प्रकरण सारहीन हो चुका है जिसमें अब कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं रहता है, अतः रेफरेन्स सारहीन होने से खारिज किया जाये। हमने बहस पर मनन किया एवं विद्वान भू प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर द्वारा अनुशंषित कार्यवाही का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि ग्राम खोखावास, तहसील सांगानेर में नामांतरकरण संख्या 13 दिनांक 7-8-1991 से खसरा नम्बर 176 रकबा 0-63 है0 खातेदार भारत सरकार में से 5 एअर भूमि खसरा नम्बर 176/756 रकबा 0-05 है0 विजय कुमार ठोलिया पुत्र सुन्दर लाल ठोलिया के नाम दर्ज करने का आदेश सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित किया गया जिसे अविधिक बताते हुये, निरस्त कराने हेतु सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने भू प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। भू प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर ने अभिशंषित कार्यवाही दिनांक 9-12-2002 में यह माना है कि जो 5 एअर रकबा दिया गया है वह हाल खसरा नम्बर 176 में शामिल है और हाल खसरा नम्बर 176 में से 5 एअर भूमि कम करके अप्रार्थी विजय कुमार ठोलिया के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 3-8-1991 सही नहीं है और इस प्रकार से सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, सांगानेर का आदेश दिनांक 3-8-1991 व नामांतरकरण संख्या 13 निरस्त योग्य है। मण्डल के समक्ष अप्रार्थी पक्ष की ओर से आवेदन मय राजस्थान राजपत्र दिनांक 14-09-2011 प्रस्तुत किया है कि उक्त भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त किया जा चुका है, जिसकी पुष्टि प्रस्तुत किए गए राजपत्र दिनांक 13-9-2011 की प्रतिलिपि से भी होती है। अप्रार्थी की यह भी आपत्ति है कि उक्त भूमि का मुआवजा भी पक्षकारान को दिया जा चुका है, अतः यह रेफरेन्स प्रभावहीन हो चुका है। जैसा कि सुस्पष्ट है कि भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अवाप्ति की कार्यवाही की जा चुका	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./7196/2002/जयपुर** **सरकार बनाम विजय कुमार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है और यह समस्त कार्यवाही अभिशंषा दिनांक 9–12–2002 के बाद की है, अतः उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुये, प्रकरण में क्या अग्रिम कार्यवाही की जानी है इसे सुनिश्चित कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्रकरण को वापिस लौटाया जाना आवश्यक प्रतीत होती है। फलतः हस्तगत रेफरेन्स इसी आशय के साथ निर्णित करते हुये, भू प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को इस आशय के साथ वापिस लौटाया जाता है कि उपरोक्त विवेचन व भूमि अवाप्ति के तथ्य को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में पुनः परीक्षण करावें और प्रकरण में क्या अग्रिम कार्यवाही की जानी है इस बिन्दु को तय करते हुये, आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करावें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	